

म  
में

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

सीन अधिकारी :- बन्शीधर योगी, (आर०ए०एस०)

दस्ता संख्या :- 47/10003 9004

अर्थात् 56 एकड़ भूमि उपखण्ड निम्नलिखित- तहसील- करेडा

प्रार्थी.....

बनाम

अर्थात् 56 एकड़ भूमि उपखण्ड निम्नलिखित- तहसील- करेडा

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 12/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम समथुली पटवार हल्का समथुली तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 166 आराजी नम्बर 136, 137, 350,

कुलकिता 3 रकबा 0.9357 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18/12/23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को देखते ही यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने की है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का संभव है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम समथुली पटवार हल्का समथुली तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 166 आराजी नम्बर 136, 137, 350,

कुलकिता 3 रकबा 0.9357 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की जांच करी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक समथुली को 550/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये पत्थरगढी को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा, जिला-भीलवाडा



तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार प्रार्थी को जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा, जिला-भीलवाडा